

(49)

मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक-एफ-12-33/2010/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 28/8/2010  
प्रति,

✓ आयुक्त,  
स्वास्थ्य सेवाएँ,  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:-मध्यप्रदेश राज्य में क्ष-किरण हेतु शुल्क का निर्धारण करने बाबत ।

-0-

राज्य शासन एतद् द्वारा मध्य प्रदेश में विकिरण सुरक्षा इकाई के अन्तर्गत Atomic Energy Act 1962 एवं Radiation Protection Rules 2004 के पालनार्थ रेडियोलॉजिकल उपकरण के पंजीयन हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित करता है:-

1. विकिरण सुरक्षा इकाई म.प्र. के फार्मों का शुल्क निर्धारण :-

क्र.	विवरण	निर्धारित शुल्क (रुपये में)
1.	प्रति मशीन के स्थापना हेतु प्रति ले-आउट एप्रूवल (अनुमोदन) फार्म	100.00
2.	सभी प्रकार के एक्स-रे मशीनों का प्रति पंजीयन फार्म शुल्क	200.00
3.	सी.टी. स्कैनर लायसेंस प्राप्ति बाबत फार्म	250.00

2. अन्य शुल्क :-

क्र.	विवरण	निर्धारित शुल्क (रुपये में)
1.	प्रति मशीन के स्थापना हेतु प्रति ले-आउट एप्रूवल (अनुमोदन) का शुल्क	4500.00
2.	सभी प्रकार के एक्स-रे मशीनों का प्रति पंजीयन शुल्क	4000.00
3.	सी.टी. स्कैनर, कार्डियक कैथलैब के लाइसेंस का शुल्क	4500.00
4.	प्रत्येक एक्स-रे मशीन के पंजीयन के नवीनीकरण का शुल्क (द्विवार्षिकीय)	4000.00
5.	सी.टी. स्कैनर लायसेंस नवीनीकरण शुल्क (द्विवार्षिकीय)	4500.00

//02//

उपरोक्त शुल्क "संचालक, चिकित्सा सेवायें, म.प्र." (विकिरण सुरक्षा इकाई) के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जावे ।

यह स्वीकृति प्राप्ति शीर्ष 0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (04) लोक स्वास्थ्य (104) फीस आर अर्थदण्ड आदि (0754) फीस और जुर्माना आदि से प्राप्तियों मद में चालान से शासकीय खजाने में राशि का विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन)

उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक-एफ-12-33/2010/सत्रह/मेडि-3, भोपाल, दिनांक 28 / 8 / 2010  
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार, परमाणु उर्जा नियामक परिषद् नियामक भवन" अनुशक्ति नगर, मुम्बई-400092 (महाराष्ट्र)
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र. ।
4. समस्त कलेक्टर, म.प्र. ।
5. संचालक विकिरण सुरक्षा म.प्र. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
6. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल ।
8. वित्तीय सलाहकार, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल ।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
10. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र. ।
11. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन/सतपुड़ा भवन, कोषालय, भोपाल ।
12. आदेश नस्ती ।

उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग